<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा।</u>

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 1299/2026</u>

<u>CNR No. UPGD01003821-2026</u>

अर्चना पाण्डेय, आयु करीब 40 वर्ष, पत्नी अभिषेक पाण्डेय, निवासी–आवास विकास कालोनी, थाना कोतवाली नगर, जिला गोण्डा।

.....आवेदिका/अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

..... अभियोजन।

<u>दिनांक–05.06.2026</u>

1. यह प्रार्थना पत्र आवेदिका/अभियुक्ता **अर्चना पाण्डेय** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–447/2026, अन्तर्गत धारा–309(4), 308(5), 127(2), 133, 61(2)(ए), 3(5), 317(2), 317(5) बी0एन0एस0, थाना–कोतवाली नगर, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत मामले में आवेदिका/अभियुक्ता जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है।

3. वादी मुकदमा शिवा तिवारी द्वारा दिनांक 19.05.2026 को समय 23:02 बजे दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित है कि वह दिनांक 18.05.2026 को समय करीब 11 बजे एल0बी0एस0 महाविद्यालय से पेपर देकर निकला था कि विपक्षीगण अर्पित पाण्डेय व मान त्रिपाठी ने अपने अन्य 5 और सहयोगियों के साथ मिलकर उसको फोन किया मिलने के लिए। वह जब विपक्षीगण से मिला तो वे उसको बस स्टाप पर मोटरसाइकिल पर बैठाकर धनौली बाजार नहर के पास ले गए, फिर वहां पर जबरन उसके ऊपर पिस्टल/तमंचा रखकर लगभग 5000/– रूपया नगद व ऑनलाइन मु0 14,500/– रूपया व घड़ी मु0 14000/– रूपया जबरन छीन लिया तथा उसको नंगा करके वीडियो बनाया व पुलिस प्रशासन को उससे जबरन गाली दिलवाया तथा हाथ में अवैध तमंचा पकड़ा दिया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी कि किसी को बताओगे तो तुमको जान से मार डालेंगे। फिरौती के तौर पर मु0 20,000/– रूपया नगद मांगा तथा 2,00,000/– रूपया और न देने पर जान से मारने की धमकी भी विपक्षीगण ने दिया। रात्रि करीब 08:30 पी0एम0 को यह धमकी देकर छोड़ दिया कि अगर दिनांक 20.05.2026 को मु0 2,00,000/– रूपया नहीं दिया तो तुम्हारा वीडियो फोटो वायरल कर दूंगा तथा जान से मार डालूंगा व तुम्हारे घर पर बम मार के पूरे परिवार वालों को मार डालेंगे। विपक्षीगण काफी दबंग किस्म के राजनीतिक पकड़ वाले व्यक्ति है जो आये दिन जघन्य अपराध किया करते है, उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है।

4. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त

नहीं है। उसने न तो कोई अपराध किया है और न ही किसी अपराध में शामिल रही है। वह एक सीधी सादी घरेलू महिला है और गिरफ्तारी वाले दिन अपने घर पर ही थी तभी पुलिस वालों ने पकड़ लिया और फर्जी बरामदगी दिखाकर झूठे मुकदमे में चालान कर दिया। बरामदशुदा माल से उसका कोई वास्ता सरोकार नही है और न ही उसके घर से कोई बरामदगी हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक में घटना कारित करते समय किसी महिला की संलिप्तता नहीं है। कथित फर्द बरामदगी के समय जनता का कोई साक्षी नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है और न ही किसी अपराध में सजा हुई है। उपरोक्त कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता पर आपराधिक षडयंत्र के तहत अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा का सदोष परिरोध कारित करते हुए उस पर तमंचा रखकर उससे 5000/– रू0 नगद, 14,500/– रू0 ऑनलाईन व मु0 14,000/– रू0 की घड़ी की लूट करने, उसका अपमानजनक वीडियो बनाने तथा लूट की घड़ी व रूपये आवेदिका/अभियुक्ता के कब्जे से बरामद होने का आरोप है। आवेदिका/अभियुक्ता का अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है। उपरोक्त कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

6. मैंने आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा अभियोजन अभिलेखों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका/अभियुक्ता पर आपराधिक षडयंत्र के तहत अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा का सदोष परिरोध कारित करते हुए उस पर तमंचा रखकर उससे कुल 19,500/– रू0 व मु0 14,000/– रू0 की घड़ी की लूट करने, उसका अपमानजनक वीडियो बनाने तथा लूट की घड़ी व रूपये आवेदिका/अभियुक्ता के कब्जे से बरामद होने का अभियोग लगाया गया है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित हो रहा है कि आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। दौरान विवेचना, वर्तमान अभियुक्ता का नाम प्रकाश में आने पर उसे उसे मामले से सम्बद्ध किया गया है।

9. अभियोजन अभिलेखों के अवलोकन से विदित है कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी प्राथमिकी में अंकित नहीं है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के समय किसी महिला को उपस्थित होना कहा गया है। अभियुक्त अर्पित पाण्डेय द्वारा विवेचक को दिए गए मजीद बयान में वादी मुकदमा से लूटी गयी घड़ी व उसके हिस्से में आए 3,000/– रूपये अपनी मां/वर्तमान अभियुक्ता को देने का कथन किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता के कब्जे से एक अदद कलाई घड़ी व 3000/– रूपये बरामद होना कहा गया है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी फर्द बरामदगी में अंकित नहीं है। कथित घटना कारित करने में आवेदिका/अभियुक्ता की किसी विशिष्ट भूमिका का उल्लेख केस डायरी में नहीं है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। सम्बन्धित थाने की

आख्या में आवेदिका/अभियुक्ता का कोई पूर्व सजायाबी आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 25.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

10. अतः मामले के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए मेरे मत में अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है। तद्नुसार आवेदिका/अभियुक्ता अर्चना पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता **अर्चना पाण्डेय** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–447/2026, अन्तर्गत धारा–309(4), 308(5), 127(2), 133, 61(2)(ए), 3(5), 317(2), 317(5) बी0एन0एस0, थाना–कोतवाली नगर, जिला–गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2569/2025 **स्वीकार** किया जाता है।

अभियुक्ता द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियुक्ता इस आशय की अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करे कि–

1. अभियुक्ता विवेचना/विचारण के दौरान मामले से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या बचन नहीं देगी और साक्ष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।

2. अभियुक्ता विवेचना/विचारण में सहयोग करेगी तथा विचारण में प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी।

3. अभियुक्ता द्वारा जमानत पर छूटने के उपरान्त विचारण के दौरान किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगी।

4. अभियुक्ता द्वारा कोई भी स्थगन साक्ष्य की अवस्था पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जबकि गवाह उपस्थित हों और आवेदिका/अभियुक्ता आरोप विरचित किये जाने एवं बयान धारा–351 भा0ना0सु0सं0 के समय उपस्थित रहेगी।

ऐसा करने में यदि उसके द्वारा कोई अनियमितता बरती जाती है, तो सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह जमानत शर्तों का दुरूपयोग मानते हुए उसकी जमानत निरस्त कर दे और विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाए।

दिनांक–05.06.2026

(सूर्य प्रकाश सिंह)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा